फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री घनश्याम जोशी निवासी जोशीयों की मादड़ी, बागोल, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 76/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 26.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक :— एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अपील 76/2024/5016 दिनांक 28.08.24 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का आवेदन पत्र आरटीआई ऑनलाई पोर्टल के माध्यम से दिनांक 28.06.2024 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के निर्वाचन अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी निर्वाचन अनुभाग को पत्रांक 3086 दिनांक 28.06.2024 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी निर्वाचन अनुभाग के पत्रांक 1483 दिनांक 03.07.2024 से इस कार्यालय अवगत कराया कि उक्त सूचना ग्राम पंचायत बागोल, तहसील नाथद्वारा से संबंधित है इस कार्यालय द्वारा जरिये ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से क्रमांक 1439433994 दिनांक 08.07.2024 से प्रार्थी को निर्वाचन अनुभाग के पत्रांक की प्रति अपलोड कर सूचित किया गया। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार प्रार्थी को जरिये ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निर्वाचन अनुभाग के पत्रांक प्रति अपलोड कर सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित का संबंध ग्राम पंचायत बागोल, तहसील नाथद्वारा से होने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना नियमानुसार ग्राम पंचायत बागोल से प्राप्त करे। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमन्द, को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)